

पंजाब नैशनल बैंक
punjab national bank

खजान्ची-करार
CASHIER AGREEMENT

यह करार 20 के _____ महीने की _____ तारीख को _____ में प्रथम पक्षकार के रूप में पंजाब नैशनल बैंक, जिस का प्रधान कार्यालय 7, भीखाएजी कामा प्लेस, नई दिल्ली में है और जिसे इसके बाद "बैंक" कहा गया है, तथा द्वितीय पक्षकार के रूप में श्री/कुमारी/श्रीमती _____ पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री _____ निवासी _____ जिन्हें इसके बाद लिपिक-एवं-खजान्ची कहा गया है, के बीच किया गया।

THIS AGREEMENT made at _____ on this _____, 20
BETWEEN Punjab National Bank having its Head Office at 7, Bhikhaji Cama Place, New Delhi (hereinafter called the Bank) of the first part and Shri/Kumari/Smt. _____ Son/Daughter/wife of Shri _____ resident of _____ (hereinafter called the Clerk-cum-Cashier) of the second part.

*1/*2 जो लागू न हों उसे काट दें

*1/*2 Strike out whichever is not applicable.

*1 श्री/कुमारी/श्रीमती _____ पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री _____ के अनुरोध पर बैंक श्री/कुमारी/श्रीमती _____ को खजान्ची/लिपिक-एवं-खजान्ची के रूप में नौकरी पर रखने के लिए सहमत हो गया है।

*1. Whereas at the request of Shri/Kumari/Smt. _____ S/o / D/o / Wife of Shri _____ the Bank has agreed to take Shri/Kumari/Smt. _____ into its service as Cashier/Clerk-cum-Cashier.

*2. श्री/कुमारी/श्रीमती _____ पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री _____ खजान्ची/लिपिक-एवं-खजान्ची बैंक में सेवारत है।

* Shri/Kumari/Smt. _____ S/o / D/o / Wife of Shri _____ Cashier/Clerk-cum-Cashier is Serving the Bank.

खजान्ची/लिपिका एवं-खजान्ची को अपनी इयूटी के दौरान रोकड़, नोट, प्रतिभूतियां, बुलियन, जेवरात तथा अन्य बहुमूल्य वस्तुएं, दस्तावेज आदि संभालने होते हैं। अतः अब दोनों पक्षों से बीच निम्नलिखित करार किया जाता है।

Whereas the Cashier/Clerk-cum-Cashier has, in the discharge of his/her duties, to handle cash, Notes, Securities, Bullion, Jewellery and other valuable goods documents etc. It is now agreement between the parties hereto as under:

1. द्वितीय पक्षकार, लिपिक-एवं-खजान्ची अपना कार्य मेहनत, निष्ठा एवं ईमानदारी से करेंगे और वह समय समय पर अपने पर लागू नौकरी की शर्तों का पालन करेंगे।

That the Clerk-cum-Cashier of the second part, shall work diligently, faithfully and honestly in the discharge of his/her duties and shall abide by all the service conditions applicable to him/her from time to time

2. द्वितीय पक्षकार, लिपिक-एवं-खजान्ची किसी कपट, लापरवाही अथवा गबन के कारण अथवा उनके द्वारा किसी कार्य को करने या न करने के कारण हुई सभी हानियों के लिए बैंक के प्रति उत्तरदायी होंगे।

That the Clerk-cum-Cashier of the second part shall be liable to the Bank for all losses

3. द्वितीय पक्षकार, लिपिक-एवं-खजान्ची ऊपर खण्ड सं. 2 में उल्लिखित किसी भी कारण से होने वाली हानि की पूर्ति के लिये बैंक क पास निर्धारित नकद-प्रतिभूति जमा करेंगे और बैंक को उस प्रतिभूति का अपनी हानि की पूर्ति के लिये इस्तेमाल करने का अधिकार होगा और इस बारे में निर्णय करने का एकमात्र अधिकार बैंक को होगा। यदि प्रतिभूति की रकम से हानि पूरी न हो तो बैंक को स्वयं उनसे अथवा उनकी सम्पत्ति से रकम की वसूली करने का अधिकार होगा।

That the Clerk-cum-Cashier of the second part, shall deposit cash security as prescribed, with the Bank to meet any loss caused in any manner mentioned in clause No. 2 above and the Bank shall be entitled to appropriate the same towards the loss, of which the bank shall be the sole judge. In case of deficiency the Bank shall be entitled to recover the same from his/her person and property.

4. बैंक ऊपर पैरा 3 के अनुसार जमा करवाई गई प्रतिभूति पर समय समय पर बैंक द्वारा निर्धारित दर से ब्याज देगा।

That the bank shall pay interest on the security deposit as per para 3 above at the rate as decided by it from time to time

5 लिपिक एवं खजांची के बैंक-सेवा में न रहने पर अथवा उन्हें स्थायी तौर पर लिपिक-एवं-खजांची को ड्यूटी से हटा दिये जाने के तुरन्त बाद बैंक जमा करवाई गई प्रतिभूति की रकम, ऊपर बताई गयी दर पर ब्याज सहित वापस लौटा देगा।

That the Bank shall in the event of the Clerk-cum-Cashier ceasing to be in the service of the Bank or as soon as he/she is permanently removed from the duties of Clerk-cum-Cashier refund the amount of security deposited with interest at the above rate.

6. लिपिक-एवं खजान्ची को प्रधान खजान्ची/प्रभारी खजान्ची के रूप में काम करने के लिए कहे जाने पर वह उस ड्यूटी को सम्भालेगा तथा प्रधान खजान्ची/प्रभारी खजांची पर लागू सेवा शर्तों का पालन करेंगे। वह चाबियों की उचित अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा और चाबियों के खो जाने की स्थिति में बैंक को वालों के वार्ड बदलवाने तथा उस काम पर आने खर्च का वसूली करने का अधिकार होगा।

That the Cashier/Clerk-cum-Cashier when required to work as Head Cashier/Cashier Incharge shall discharge the duties and abide by the service conditions applicable to Head Cashier/Cashier Incharge. He/She shall be responsible for proper custody of keys and in the event of their loss the Bank shall be entitled to replace the wards of the locks and recover the expenses thereof from him/her.

इसके माध्यमस्वरूप पक्षकारों ने इस करार पर _____ में 20 _____ के _____ मास की _____ तारीख को हस्ताक्षर किये।

IN WITNESS WHEREOF THE parties have set their hands hereunto at _____

_____ this _____ day of _____ 20 _____

निम्नलिखित उपास्थानों में हस्ताक्षर किये गये और मुपुद किया गया :
Signed and delivered in the presence of

साक्षी / WITNESSES:

1 _____

2 _____